



क्रमांक: एफ4 (88)आकाशि/नि.सं./2010/444

दिनांक: 18-12-2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1983 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्य तन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2023-24 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
मानसी चित्पवन शिक्षा समिति, रेनवाल मौंजी, फागी, जयपुर।	श्री कल्याण महाविद्यालय, रेनवाल मौंजी, फागी, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० स मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी; तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2023-24 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
5183274



Signature valid

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Digitally signed by Suraj Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.12.18 12:15 IST
Reason: Approved